# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
# Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/5945
दिनांक : 10.6.2020

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– वर्ष 2020–2021, 2021–2022 एवं 2022–2023 के वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कतिपय दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र संख्या–1020/सत्तर–3–2020–8(21) 2018 दिनांक 14 मई 2020 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा वर्ष 2020–2021, 2021–2022 एवं 2022–2023 के वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किये गये है।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के संदर्भित आदेशों के क्रम में आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2020–2021, 2021–2022 एवं 2022–2023 के वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. व्यैक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, माधवपुरम, मेरठ को सूचनार्थ।
04. प्रो0 जे0के0 ढाका, संकायाध्यक्ष, कृषि, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज को सूचनार्थ।
05. प्रभारी वेबसाइट इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
06. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

32)

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

षक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

ाय न,

निदेशक, — कुलपति,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, — समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
प्रयागराज। — उत्तर प्रदेश।

:— कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग—3 — लखनऊः दिनाँक 14 मई, 2020

वेषयः—वर्ष 2020—21, 2021—2022 तथा 2022—2023 के वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कतिपय दिशा—निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—995/सत्तर—3—2020—08(21)/2016, दिनांक 08 मई, 2020 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2020—21, एवं अगले 02 वर्षों के वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित दिशा—निर्देशों का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :—

समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों यथा राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जायें ताकि वृक्षारोपण के लक्ष्य को सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। हर संस्थान आगामी तीन वर्षों के लिए वृक्षारोपण हेतु रिक्त भूमि का चयन कर लें, साइट प्लान का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किस वृक्ष के लिए कौन सी और कितनी भूमि उपयुक्त रहेगी। यदि आवश्यक हो तो वन/उदयान विभाग के स्थानीय अधिकारियों का सहयोग लिया जा सकता है। कोविड—19 महामारी को देखते हुए मानवीय श्रम की महत्ता बढ़ती जा रही है, जिसके दृष्टिगत जहाँ आवश्यक हो मानवीय श्रम से गडढे खुदवाने पर विचार किया जा सकता है। वृक्षारोपण हेतु जैविक/कम्पोस्ट/देशी खाद की व्यवस्था निकटवर्ती शासकीय गौशाला/गौआश्रय स्थल से की जाये, ताकि पौधों के विकास एवं उनकी जीवितता में वृद्धि सम्भव हो सके।

Aneeta Rai G.O. PC 1

2. प्रत्येक संस्थान निकटवर्ती नर्सरी चिन्हित कर लें और लगाये जाने वाले पौधों का मॉग पत्र तत्काल उन्हें सौंप दें। वृक्षारोपण हेतु फलदार, पर्यावरण के अनुकूल तथा औषधीय पौधे अधिकाधिक रोपित किए जायें जैसे पीपल, नीम, इमली, जामुन, अर्जुन, पाकड़, बरगद, देशी आम, आंवला, बहेड़ा, महुआ, सहजन आदि प्रजातियों के पौधों को प्रमुखता से शामिल किया जाय। पौधरोपण के पश्चात शासन की नीति के अनुसार जियोटैगिंग का कार्य भी सम्पन्न कराया जाय।

3. वृक्षारोपण के कार्य में राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं रोवर्स रेंजर्स का सहयोग प्राप्त करें हर पौधे की देखरेख का उत्तरदायित्व एक छात्र/छात्रा को दिया जाय। जिनके पौधे अधिक समय तक जीवित रहते हैं उन्हे महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रोत्साहित किया जा सकता है।

4. <u>जनपद में मॉडल प्लांटेशन साइट्स का विकास</u> :–

प्रत्येक जनपद में कुछ आदर्श वृक्षारोपण साइट्स विकसित की जाएं। ऐसी एक साइट जनपद में स्थित राज्य/निजी विश्वविद्यालय में हो तथा एक साइट किसी बड़े महाविद्यालय में चिन्हित की जाए जहाँ वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध होगी। इन संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी (रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य) को इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो वन विभाग से समन्वय करते हुए तीन वर्ष के लिए इन साइट्स पर वृक्षारोपण योजना का निर्धारण कर लें, जिसमें वृक्षों की प्रजातियों उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना (प्रोजेक्ट) बनाई जाए। परियोजना लागत सम्बन्धित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा वहन की जायेगी। इस हेतु 50–50 छात्र/छात्राओं एवं एक–एक प्राध्यापक के समूह बनाकर रोपित पौधों की गार्जियनशिप उन्हे प्रदान की सकती है। एक समूह में कुल 50 छात्र/छात्रा हों, जिसमें स्नातक प्रथम वर्ष के 25, द्वितीय वर्ष के 15 एवं तृतीय वर्ष के 10 छात्र/छात्रा हो सकते हैं; उन का एक समूह बनाकर उन्हे किसी एक प्राध्यापक के नेतृत्व में पौध रोपण, संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु समूह के नाम से अगले तीन साल तक रखरखाव हेतु जिम्मेदारी दी जाए।

5. <u>प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम</u> :–

पेड़–पौधों के महत्व, संवर्द्धन एवं संरक्षण तथा पर्यावरण के संबंध में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा माह जुलाई में विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा क्विज, लेख, निबन्ध, पोस्टर, भाषण, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाए और छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाये ताकि वे स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से कार्य कर सकें। ऐसा करने से वृक्षारोपण के कार्य में संलग्न छात्र/छात्राओं के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित होगा जो पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदना में वृद्धि करने में सहायक होगा।

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 2/2019/881/81–5–2019–3/2019 दिनांक 21 नवम्बर 2019 में दिये गये

निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। वृक्षारोपण की सूचना का प्रेषण उच्च शिक्षा विभाग एवं वन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1020 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।